न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 27/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00058

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

वगतावरसिंह पुत्र लालसिंह
जाति राजपूत निवासी–गौगरा,
तहसील – सुमेरपुर जिला पाली
(राज.)

1. ग्राम पंचायत गौगरा जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. बहादुरसिंह पुत्र वनेसिंह जाति राजपूत निवासी गौगरा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से चैनसिंह सांखला उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से जब्बरसिंह उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 1-3-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 वास्ते निरस्त करने विक्रय विलेख संख्या 7 दिनांक 20.09.1981 जो मिसल संख्या 15/79–80 में पारित आदेश दिनांक 20.06.1981 प्रस्ताव संख्या 05/26.06.1980 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत गौगरा का रेकर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा जारी किया गया है वह प्रार्थी का खरीदसुदा है जो ग्राम गोगरा में अप्रार्थी संख्या 2 के विवादित भूखण्ड के पूर्व में आया हुआ है तथा इस भूखण्ड का पट्टा बगतावरसिंह , भवंरसिंह व चैनसिंह पुत्रगण श्री लालसिंह के नाम जारी सुदा है जो ग्राम पंचायत गोगरा द्वारा जारी किया हुआ जैर निगरानी भूखण्ड के सामने की तरफ रास्ता है जो अप्रार्थी संख्या 2 के जैर निगरानी भूखण्ड के उत्तर दिशा में है जो पश्चिम दिशा में आगे की तरफ मोतीराम के मकान की तरफ जाता है अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने मकान के आगे के रास्ते की भूमी पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया है रास्ते की भूमी में पट्टा जारी किया जाने से पट्टा निरस्त योग्य है उक्त पट्टे की आड़ में अप्रार्थी ने रास्ते की भूमी को अपने में मिला दिया है। रास्ते का उपयोग समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाता रहा है अप्रार्थी संख्या 2 ने रास्ते को बन्द कर दिया है जैर निगरानी पट्टा हेतु कोई मिसल कायम नही की गई। पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ही पेश नहीं किया गया है। भूखण्ड का नक्शा नहीं बनाया गया है गांव या अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों के बयान नहीं लिए गए है आपत्ति इश्तिहार जारी नहीं किया गया है इस प्रकार तमाम कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है एवं पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी पट्टे की आड़ में रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा 10919 वर्ग फिट का पट्टा जारी कर दिया है जो पंचायत के क्षेत्राधिकार के बाहर होने से पट्टा निरस्त योग्य है पर मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है सचिव के नहीं है जबकि दोनों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है इस बाबत शिकायत करने पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 47/14 दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 2 को अतिक्रमी मानते हुए कार्यवाही की गई थी। नकलें ग्राम पंचायत से नहीं मिलने के कारण समय पर निगरानी पेश नहीं की गई तथा 07.03.2019 को सूचना दी थी मिसल पंचायत में उपलब्ध नहीं है इसलिए आपको नकल नही दी जा सकती है तब निगरानी पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

की गई है जैर निगरानी पट्टा पंचायतराज नियमों की पालना नहीं करते हुए रास्ते की भूमी में जारी कर दिया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड मिसल सब है जो इस न्यायालय द्वारा मांगा जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा भिजवाया गया है तथा पत्रावली संलग्न है ग्राम पंचायत की मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। अप्रार्थी बहादुरसिंह का प्रार्थना पत्र पत्रावली में मौजूद है जिस पर पत्रावली कायम की गई है जैर निगरानी आराजी का मिसल में नक्शा बनाया गया है जो पत्रावली में विद्यमान है। गवाहों के बयान लिए हुए है। तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित की गई है तथा उस कमेटी द्वारा मौका भी देखा गया है मौका रिपोर्ट मिसल में संलग्न है सभी आदेशिकाएं दर्ज करते हुए तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.12.2079, 26.06.1980, एवं 15.08.81, को प्रस्ताव भी लिए जाकर कार्यवाही की गई इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपनाई गई है जैसा निगरानी में वर्णित है मूल विवाद रास्ते को लेकर है रास्ता बंद नही किया गया है तथा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई जो ग्रामवासी गौगरा की शिकायत पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 91 के कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 47/2014 दर्ज कर हटा दिया गया है जो प्रार्थी द्वारा निगरानी में स्वयं ने स्वीकार किया है प्रार्थी का मकान पूर्व में निर्मित है उसके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण वर्तमान में किया हुआ नहीं है मौके पर रास्ता खुला है अप्रार्थी के पट्टे में अंकित आराजी के अलावा भूमी पर अतिक्रमण नही है जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा सुदा भूमी पर पक्का मकान निर्मित होने से बाजार दर को ध्यान में रखते हुए 328/— रूपये में भूमी विक्रय कर पट्टा सन् 20.09.1981 को जारी किया गया जिसे 38 वर्ष बाद इस निगरानी के जरिये प्रश्नगत किया गया है जो न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गयां इस निगरानी में दो बिन्दुओं पर विचारण किया जाना उल्लेखनीय है :—

1. पट्टा जारी करते समय विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।
2. पट्टा रास्ते की भूमी पर जारी किया गया है अथवा नहीं।

जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है ग्राम पंचायत में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर मिसल कायम की गई। जैर निगरानी आराजी का नक्शा बनाया गया तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित की गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट मिसल में है आपति इश्तिहार जारी किया गया तथा गवाहों के बयान लिए गए है जैर निगरानी भूखण्ड पर मकान निर्मित होने से बाजार दर को ध्यान में रखते हुए पंचायत द्वारा 328/— रूपये में पट्टा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे की मिसल संख्या 15 के सम्बन्ध में दिनांक 08.12.79, 26.06.1980, तथा 15.08.1981 को प्रस्ताव लिए हुए है इस प्रकार प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता है।

निर्मित मकान का पट्टा जारी किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा रास्ते रोकने हेतु निर्माण करने पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पटवार हल्का गोगरा की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण पाया जाने पर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की गई ऐसा प्रार्थी की निगरानी के पेज संख्या 4 पर पैरा संख्या 9 में उल्लेखित है तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण किया जाता है तो अतिक्रमण की कार्यवाही धारा 91 के तहत की जा सकती है। रास्ते की भूमी पर जैर निगरानी पट्टे की भूमी का हिस्सा है ऐसा स्पष्ट रूप से साबित नही हो पाया है न ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सबूत पेश किए गए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:45 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.09.1981 जो ग्राम पंचायत गोगरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 26.06.1980 एवं मिसल संख्या 15/1979–80 में पारित आदेश की पालना में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-3-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:45 IST
Reason: SelfAttested